राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/नर्स—2 सीधी भर्ती 2018/2020/173 दिनांकः—24.01.2020

नर्स श्रेणी—द्वितीय (गैर अनुसूचित क्षेत्र) सीधी भर्ती—2018
अंतिम वरीयता सूची

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के तहत नर्स श्रेणी—द्वितीय (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के 6035 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 231 दिनांक 30.05.2018 जारी कर भर्ती एजेन्सी के माध्यम से दिनांक 04.06.2018 से दिनांक 03.07.2018 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये गये थे एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की पालना में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किये गये थे। इसके उपरान्त संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 321 दिनांक 26.07.2018 द्वारा पदों की संख्या में संशोधन किया गया। जिसके संदर्भ में अंतरिम वरीयता सूची निदेशालय के क्रमांक अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/नर्स—2 सीधी भर्ती 2018/2020/109 दिनांक 08.01.2020 जारी कर दिनांक 15.01.2020 तक ऑनलाईन परिवेदनाऐं आमंत्रित की गई थी, 751 प्राप्त परिवेदनाओं का परीक्षण कर निस्तारण करने के उपरान्त संलग्न सूची में उल्लेखित कुल 5914 अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची (Final Merit List) जारी की जा रही है। जिसमें निदेशालय के आदेश क्रमांक 119 दिनांक 11.01.2020 के द्वारा MBC वर्ग के 4 प्रतिशत अतिरिक्त सृजित पदों पर MBC वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुये भर्ती एजेन्सी द्वारा तैयार की जा कर अंतिम वरीयता सूची (Final Merit List) उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें पदों का वर्गवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	वर्ग	कुल पदों की संख्या
1.	अनारक्षित	2967
2.	अनुसूचित जाति	939
3.	अनुसूचित जनजाति	704
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1232
5.	अति पिछड़ा वर्ग	292
6.	सहरिया	26
कुल		**6160**

रोस्टर के अनुसार कुल पदों की संख्या निम्नानुसार हैः—

वर्ग	पद	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यकता
अनारक्षित	2897	1449	1160	231	57
अनुसूचित जाति	909	455	364	72	18
अनुसूचित जनजाति	674	337	271	53	13
अन्य पिछड़ा वर्ग	1162	581	466	92	23
अति पिछड़ा वर्ग	272	136	110	21	5
सहरिया	26	13	11	2	0
कुल	**5940**	2971	2382	471	116

लम्बवत आरक्षण		
1.	विशेष योग्यजन	237
2.	भूतपूर्व सैनिक	740
3.	उत्कृष्ठ खिलाड़ी	118

अंतिम वरीयता सूची (Final Merit List) तैयार करने में प्रचलित भर्ती नियमों/आरक्षण/माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों/अन्य संबंधित नियमों/नीति निर्धारण समिति के निर्णयों का ध्यान रखा गया है जो निम्नानुसार है–

1. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.12.2019 के क्रम में आर्थिक रूप से पिछड़ा संवर्ग को इस भर्ती (गैर अनुसूचित क्षेत्र) में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
2. विधवा एवं परित्यक्ता श्रेणी के अभ्यर्थियों की परिवेदनाओं का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13409/2019 निरमा धाकड़ बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2019 के परिपेक्ष्य में किया गया है।
3. बोनस सम्बन्धी परिवेदनाओं का निस्तारण पूर्व में नीति निर्धारण समिति व माननीय न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में तथा त्रुटि सुधार करते हुए किया गया है। नियमानुसार, अन्य विभागों, नर्स श्रेणी द्वितीय से भिन्न पदों व असमान कार्य करने पर व अन्य राज्यों में कार्यरत अभ्यर्थियों को बोनस का लाभ नहीं दिया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापन अधिकारियों द्वारा किये गये सत्यापन के आधार पर अनुभव अवधि व अन्य को मान्य अथवा अमान्य किया गया है।
4. पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय के क्रम में जामिया उर्दू बोर्ड की मान्यता रद्द कर दिये जाने से पूर्व की भर्तियों में जामिया उर्दू बोर्ड से 10वीं/12वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन से वंचित कर दिया गया था। इस 2018 की भर्ती में माननीय न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करते हुये जिन अभ्यर्थियों का परिणाम "**विदहेल्ड**" रखा गया था, उन अभ्यर्थियों के भर्ती परिणाम को अंतिम वरीयता सूची में भी "**विदहेल्ड**" ही रखा गया है।
5. माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या 18307/2019 प्रमीला पाटीदार व अन्य बनाम सरकार तथा इसके कनेक्टेड अन्य याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2020 के अनुसार पीपीपी मोड पर कार्यरत अभ्यर्थियों को जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को दिनांक 28.02.2020 तक सत्यापन कराया जाना है, ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित करते हुये इनका चयन अनुभव सत्यापन के अध्याधीन किया गया है।
6. जिन अभ्यर्थियों ने पति के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये थे उन्हें अंतरिम वरीयता सूची में सामान्य श्रेणी में रखा गया था। ऐसे ही तीन वर्ष से पुराने OBC प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनको NCL से CL श्रेणी में किया जा कर अंतरिम वरियता सूची जारी की गई थी। उपरोक्त दोनो प्रकार के अभ्यर्थियों से प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण में पूर्व में लिये गये नीति निर्धारण समिति के विभिन्न निर्णयों व विभिन्न प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय को सम्मिलित रूप से प्रभावी करते हुए आवेदन/दस्तावेज सत्यापन/नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.09.2019 के समय की यथास्थिति रखी गई है।

7. अनेक विशेष योग्यजनों द्वारा निःशक्तता सम्बन्धी परिवेदनाऐं प्रेषित की गई हैं। विभागीय मत एवं नियमों के आधार पर One Leg (OL) Locomotor विकलांगता को इस वर्ग के आरक्षण का लाभ देय है, जिसके आधार पर ही अंतरिम वरियता सूची जारी की गई थी जिसमें जयपुरिया अस्पताल/सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर ही One Leg (OL) Locomotor 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी को ही आरक्षण का लाभ दिया गया है। 40% से कम One Leg (OL) Locomotor निःशक्तता होने पर सामान्य अभ्यर्थी के समान अपनी ही श्रेणी में योग्य माना गया है। One Leg (OL) Locomotor से भिन्न निःशक्तता होने पर नर्स श्रेणी द्वितीय पद हेतु अपात्र मानते हुए चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस बाबत अंतरिम वरीयता सूची की यथास्थिति रखी गई है।
8. ऐसे अभ्यर्थियों जिनका आवेदन की अंतिम दिनांक तक आर.एन.सी. से पंजीयन नहीं था अथवा आवेदन की दिनांक से पूर्व पंजीयन हेतु आवेदन कर दस्तावेज सत्यापन तक पंजीयन प्राप्त नहीं कर सके थे अथवा जिनका पंजीयन आर.एन.सी द्वारा निरस्त कर दिया गया, उनका राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन नहीं मानते हुए पात्रता निरस्त कर दी गई थी। ऐसे प्रकरणों में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु आर.एन.सी. की राय को प्रभावी माना जायेगा। यदि आर.एन.सी. द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों का पंजीकरण मान्य कर दिया जाता है तो उन्हे चयन प्रक्रिया मे सम्मिलित करना होगा इस हेतु कट ऑफ से उपर आ रहे अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार 50 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु रिक्त रखे गये है। शेष अभ्यर्थी जिनका परिणाम आर.एन.सी. के कारण रोका गया है, उनका परिणाम यथावत ही रोका गया है जो आर.एन.सी. की राय के अध्याधीन है।
9. ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांकों में परिवेदना के माध्यम से संशोधन कर चयन प्रकिया में सम्मिलित किया गया है एवं जो परिवेदना के माध्यम से अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये गये हैं, उन्हे मेरिट में आने पर पद रिक्त रखते हुए दस्तावेज सत्यापन किया जावेगा।
10. उत्कृष्ठ खिलाड़ी श्रेणी के आवेदकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हुआ है, के लिये अधिकतम 2% तक वर्गवार पद रिक्त रखे गये हैं।
11. उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों के लिये 50–सामान्य, 50–ओ.बी.सी., 25–एस.सी., 25–एस.टी., 20–एम.बी.सी. एवं 170 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिये और रिक्त रखे गये है।
12. सहरिया संवर्ग में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने से इस श्रेणी के पद बैकलॉग के रूप में सुरक्षित कर लिये है।
13. विधवा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों को मृतक की पत्नि होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सन्तान होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की पात्रता समाप्त कर दी गई है। तीन या अधिक सन्तान होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थियों को अन्तिम जन्मी सन्तान का जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म दिनांक लिखी हो, प्रस्तुत करना होगा, तभी इस भर्ती हेतु उनकी पात्रता मानी जावेगी।
15. परिवेदना के माध्यम से 07 अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है एवं 16 अभ्यर्थियों के अंतरिम वरियता सूची में जारी डेटा में आवश्यक संशोधन किया गया है।
16. आई.डी. संख्या 3223540 प्रिया चौहान का जाति प्रमाण पत्र में पति के नाम से होने के कारण ओ.बीसी. एनसीएल से सामान्य किया गया।
17. आई.डी. संख्या 3222433 मीना बैरवा का जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से होने के कारण अनुसूचित जाति के स्थान पर सामान्य किया गया।

18. याचिका संख्या 13409/2019 निरमा धाकड बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 18.09.2019 को पारित निर्णय के अनुरूप आई.डी. संख्या 3213730 खुशबू शर्मा का अंतरिम वरीयता सूची मे विधवा कोटे के तहत किया गया चयन, विधवा आरक्षण का लाभ निरस्त कर निरस्त किया गया।
19. आई.डी. संख्या 3234859 शारदा मेहरा तहसीलदार, महेन्द्रगढ़ हरियाणा की रिपोर्ट दिनांक 11.08.2009 के अनुसार तहसीलदार, झुन्झुनू द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के अनुसार अन्य राज्य का निवासी होने के कारण श्रेणी अनुसूचित जाति से सामान्य किया गया है।
20. आई.डी. संख्या 3267507 राजवीर सिंह को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका संख्या 8631/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2018 के अन्तर्गत दायर अवमानना याचिका के तहत अनुभव के आधार पर 30 बोनस अंक दिये गये।
21. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने सीनियर सैकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की है उनका चयन ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण किया हुआ होने की शर्त के अध्याधीन होगा।

अंतिम वरीयता सूची (Final Merit List) की कट ऑफ निम्नानुसार हैः–

विवरण	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		अति पिछड़ा वर्ग	
श्रेणी	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
प्रतिशत	76.323	58.192	59.963	51.857	51.748	49.995	72.421	54.737	52.817	50.592
जन्म तिथि	05.05.1987	20.02.1994	09.07.1991	29.03.1995	19.01.1990	09.05.1992	05.07.1988	23.05.1995	16.07.1996	09.07.1991

22. जारी की जा रही अंतिम वरीयता सूची माननीय न्यायालय में विचाराधीन व दायर होने वाली रिटों में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगी। साथ ही यह सूची विभागीय नीतिगत निर्णयों के भी अध्याधीन होगी। इस प्रकार आवश्यकतानुसार सूची में संशोधन करने/स्थगित करने/निरस्त करने इत्यादि का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
23. अंतरिम वरीयता सूची में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुनः जॉच का कार्य प्रगति पर है। यह संभावित है कि कुछ अभ्यर्थी बोनस या अन्य किसी त्रुटिवश गलत चयनित हो गये हों तो उनके सम्बन्ध में त्रुटि सुधार करते हुए निर्णय लिया जा सकेगा एवं जारी अंतिम वरीयता सूची मे संशोधन किया जा सकेगा। अतः यह जारी अंतिम वरीयता सूची इस दस्तावेज जॉच कार्य के परिणाम के अध्याधीन भी होगी।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/नर्स–2 सीधी भर्ती 2018/2020/173 दिनांकः–24.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

7. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अन्तरिम वरियता सूची को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर